न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

स्टाम्प निगरानी संख्या–43/2007–08 अन्तर्गत धारा–56 स्टाम्प अधिनियम

श्रीमती उदिता जोशी

बनाम

राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर, हरिद्वार

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री ललित कुमार उपाध्याय

अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार : श्री राजवीर सिंह, सहा0 जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व)।

बावत

मौजा कांगड़ी, परगना नजीबाबाद
तहसील व जनपद हरिद्वार

निर्णय

यह निगरानी विद्वान कलेक्टर, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–04/2002 अन्तर्गत धारा–47ए स्टाम्प अधिनियम (पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र संख्या–09/2006–07 सरकार बनाम उदिता जोशी में पारित निर्णयादेश दिनांक 26–05–2008 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा अवर न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

अवर न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 25 जुलाई, 2003 में उल्लेख किया है कि "प्रतिपक्षी/विपक्षी ने वाद में न्यायालय में उपस्थित होना बन्द कर दिया है इसलिए उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) के तर्कों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि विकित भूमि पर कमी स्टाम्प एवं अर्थदण्ड रू0 5,10,080–00 वसूल किये जाने योग्य है।"

मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 25–07–2003 के अनुपालन में निगरानीकर्ता ने रू0 1,27,520–00 चालान संख्या–28 दिनांक 11–09–2003 को जमा किया जा चुका है तथा उसी दिन अर्थदण्ड की वसूली रोकने तथा उसे निरस्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे आदेश दिनांक 26–05–2008 से यह कहते हुए निरस्त किया गया कि प्रार्थना पत्र कालबाधित है।

मूल वाद पत्रावली मे यह तथ्य चौंकाने वाला है कि आदेश दिनांक 25–07–2003 तथा आदेश दिनांक 26–05–2008 में जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने का उल्लेख किया गया है वही पत्रावली पर कहीं कोई साक्ष्य ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इसमें कहीं भी जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) की राय संलग्न हो या आदेश पत्रों पर कहीं उनकी उपस्थिति दर्ज की गई हो। जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह प्रकरण मात्र निगरानीकर्ता को परेशान करने की वजह से लम्बित रखा गया है। अवर न्यायालय के आदेशों के अवलोकन से भी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उनके द्वारा प्रश्नगत आदेश गुणदोष के आधार पर पारित किये गये हों। प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि मात्र निगरानीकर्ता को परेशान करने के उद्देश्य से वाद की कार्यवाही संचालित की गई है। दोंनो आदेश दिनांक 25–07–2003 तथा 26–05–2008 त्रुटिपूर्ण/दोषपूर्ण एवं तथ्यों के आधार से

परे पारित किये गये हैं जो निरस्त होने योग्य हैं। निगरानीकर्ता द्वारा कमी स्टाम्प शुल्क पहले ही राजकोष में जमा किया जा चुका है, अतः अर्थदण्ड की धनराशि आरोपित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

आदेश

अतः आदेश दिनांक 25–07–2003 एवं 26–05–2008 निरस्त कर निगरानी स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।

आज दिनांक 16.04.15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(सकेश शर्मा)
अध्यक्ष।